

अध्यायों की सूचि हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016		देखिए पृष्ठ
अध्याय – I	प्रारम्भिक	1
अध्याय – II	परिभाषाएं	5
अध्याय – III	सामान्य	9
अध्याय – IV	नामांकन तथा नामांकित को भुगतान	13
अध्याय – V	सामान्य भविष्य निधि लेखे में अंशदान	17
अध्याय – VI	सामान्य भविष्य निधि लेखा की राशि पर ब्याज	21
अध्याय – VII	सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम अनुदान	29
अध्याय – VIII	सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण	35
अध्याय – IX	सामान्य भविष्य निधि लेखे की राशि का अंतिम भुगतान तथा उसकी रीति	41
	अनुबंध-1	49
	अनुबंध-2	61
	अनुबंध-3	64
	अनुबंध-4	67
	प्ररूप	70-102

नियमों की सूची हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016	
अध्याय – I	प्रारम्भिक
1.	संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ।
2.	नियमों का लागूकरण तथा प्रभाव।
3.	नियमों में छूट।
4.	व्याख्या।
5.	निरसन और व्यावृत्ति।
अध्याय – II	परिभाषाएं
6.	परिभाषाएं।
अध्याय – III	सामान्य
7.	निधि का गठन।
8.	अंशदायी बनने के लिए पात्रता।
9.	सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या का आबंटन।
10.	पश्यात्वर्ती नियुक्ति पर निधि के अतिशेष का अन्तरण।
11.	भविष्य निधि लेखे का रखरखाव।
12.	वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरणी जारी करना।
13.	अंशदायी का सामान्य भविष्य निधि लेखा।
अध्याय – IV	नामांकन तथा नामांकित को भुगतान
14.	राशि को प्राप्त करने के अधिकार के लिए नामांकन।
15.	नामांकन का रद्द करना तथा पुनरीक्षण।
16.	नामांकित की मृत्यु होने की दशा में अन्य सदस्य (सदस्यों) का विशिष्ट नामांकन।
17.	घटनाएं जब नामांकन अवैध हो जाएगा।
18.	नामांकन के प्रभाव की तिथि।
19.	नामांकित के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही।
20.	नामांकन से भिन्न व्यक्ति को भुगतान।
21.	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पर व्यक्ति को भुगतान।

अध्याय – V	सामान्य भविष्य निधि लेखे में अंशदान
22.	अंशदान की दर ।
23.	सेवा में, ड्यूटी, छुट्टी, निलंबन, विदेशी सेवा या स्थानांतरण के दौरान अंशदान ।
24.	अंशदान की दर में परिवर्तन ।
25.	सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर रोक ।
26.	अंशदान की वसूली ।
अध्याय – VI	सामान्य भविष्य निधि लेखा की राशि पर ब्याज
27.	ब्याज की दर तथा सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की गणना ।
28.	ब्याज के प्रयोजन के लिए जमा की तिथि ।
29.	अन्तिम भुगतान पर ब्याज ।
30.	विलम्बित अन्तिम भुगतान पर ब्याज को स्वीकृत के लिए सक्षम प्राधिकारी ।
31.	शास्ति ब्याज सहित अधिक ली गई राशि की वसूली ।
अध्याय – VII	सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम अनुदान
32.	सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम देने के विभिन्न प्रयोजन ।
33.	सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम प्राप्त करने की शर्तें ।
34.	सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम के लिए सामान्य सिद्धान्त ।
35.	अग्रिम की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा उनके उत्तरदायित्व ।
36.	अग्रिम का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ।
37.	अग्रिम की वसूली ।
अध्याय – VIII	सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण
38.	भवन निर्माण हेतु प्रथम प्रत्याहरण ।
39.	भवन निर्माण के लिए द्वितीय प्रत्याहरण ।
40.	भवन निर्माण के लिए प्रथम तथा द्वितीय प्रत्याहरण के लिए शर्तें ।
41.	मकान का विक्रय, उपहार, विनिमय अनुज्ञेय नहीं ।
42.	मकान में परिवर्धन/परिवर्तन करने लिए प्रत्याहरण ।
43.	पूर्वजों के घर की संभाल के लिए प्रत्याहरण ।
44.	बेरोजगार/आश्रित बालकों की रोजगार स्थापना के लिए प्रत्याहरण ।
45.	बालकों की उच्चतर शिक्षा के लिए प्रत्याहरण ।

46.	विवाह समारोह के लिए प्रत्याहरण।
47.	मोटर वाहन को खरीदने के लिए प्रत्याहरण।
48.	अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रत्याहरण।
49.	प्रत्याहरण की मंजूरी की रीति तथा सक्षम प्राधिकारी।
50.	शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन।
51.	प्रत्याहरण का उपयोगिता प्रमाण-पत्र।
52.	अग्रिम/प्रत्याहरण का दुरुपयोग।
53.	अग्रिम/प्रत्याहरण के मामलों की सूची का तिमाही प्रस्तुतीकरण।
अध्याय – IX	सामान्य भविष्य निधि लेखे की राशि का अंतिम भुगतान तथा उसकी रीति
54.	सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने पर अंतिम भुगतान।
55.	सेवा के दौरान मृत्यु या गायब होने की दशा में अंतिम भुगतान।
56.	अंतिम भुगतान जब अंशदायी ने पीछे परिवार छोड़ा है।
57.	अंतिम भुगतान जब अंशदायी ने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा है।
58.	मरणोपरान्त पैदा हुआ बालक अंतिम भुगतान के लिए परिवार का सदस्य है।
59.	पागल के लिए भुगतान की रीति।
60.	संरक्षक के लिए भुगतान की रीति।
61.	अंतिम भुगतान केवल भारत में।
62.	सामान्य भविष्य निधि लेखे से अंशदायी की सहमति के बिना कोई वसूली नहीं।